

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042023-245069 CG-DL-E-10042023-245069

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1603] No. 1603] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2023/चैत्र 20, 1945 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2023/CHAITRA 20, 1945

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1682(अ).—जबिक, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिश्रम की प्रदायगी के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से उनकी हकदारियों को हासिल करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, जबिक, भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) आंगनवाड़ी सेवा स्कीम (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अधीन) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) को बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए सार्वभौमिक स्व चयन स्कीम के रूप में संचालन करती है जो कि देश भर में फैले आंगनवाड़ी केंद्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है और यह छह सेवाएं, अर्थात्, (i) पूरक पोषाहार; (ii) स्कूल-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा; (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा; (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच; और (vi) रेफरल सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है और इन सेवाओं में से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे द्वारा प्रदान की जाती हैं;

और जबिक, स्कीम के अधीन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों और संघ शासित

क्षेत्रों द्वारा मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों और लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेवाओं के लिए मासिक मानदेय (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधाआ कहा गया है) दिया जाता है।

2356 GI/2023 (1)

और जबिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भुगतान किए गए मानदेय में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है;

अत:, अब आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षितपरिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) किसी भी स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र प्रत्येक लाभार्थी को एतद्वारा आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करना या लागू होने की स्थिति में आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।
  - (ख) स्कीमों के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी पात्र लाभार्थी, जिसके पास आधार नंबर नहीं है या आधार के लिए आवेदन नहीं किया है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा और आधार नामांकन आईडी प्रदान करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध] में जा सकते हैं;
  - (ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग को उन लाभार्थी/(र्थियों) के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिन्होंने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का विभाग यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाया यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकता है:

परंतु किसी लाभार्थी को आधार आवंटित किए जाने तक, ऐसे लाभार्थी को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्कीम के अधीन लाभ दिया जाएगा, अर्थात्:-

- क. यिद उसने नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, और
- ख. निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थातु:
  - i. फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासबुक, या
  - ii. पैन कार्ड, या
  - iii. पासपोर्ट, या
  - iv. राशन कार्ड, या
  - v. मतदाता पहचान पत्र, या
  - vi. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनयम कार्ड, या
  - vii. किसान फोटो पासबुक, या
  - viii. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, या
  - ix. किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाणपत्र, या
  - x. विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- 2. योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक लाभ प्रदान करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसीयह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को स्कीमों के अधीन आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।
- 3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात: -

- (क) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा अपनाई जाएगी, और विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फ़िंगर ऑथेंटिकेशन के साथ फ़िंगरप्रिंट प्रमाणीकरण से निर्बाध तरीके से लाभ की प्रदायगी की व्यवस्था करेगा:
- (ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने पर, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ मान्य प्रमाणीकरण, जैसी भी स्थिति हो, की व्यवस्था की जाएगी;
- (ग) उन सभी अन्य मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, स्कीम के तहत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड द्वारा सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर क्यूआर कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- 4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक लाभार्थी उन्हें देय लाभों से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर 2017 में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।(https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध)
- 5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11/3/2022-सीडी.I]

अदिति दास राउत, अपर सचिव

# MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

**S.O.** 1682(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Anganwadi Services Scheme (under Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0) (hereinafter referred to as the Scheme) as a universal self-selecting Scheme for children (6 months to 6 years) and pregnant women and lactating mothers which is being implemented through the State Governments and Union Territory Administrations through the Anganwadi Centres (hereinafter referred to as the Implementing Agency) spread across the country and it offers six services, namely, (i) Supplementary Nutrition; (ii) Pre-School Non-formal Education; (iii) Nutrition and Health Education; (iv) Immunization; (v) Health check-up; and (vi) Referral services and out of these services the Immunization, Health check-up and Referral services are related to health and are provided by National Health Missions and public health infrastructure;

And whereas, under the Scheme monthly honorarium (hereinafter referred to as the benefits) is given to the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the Central Government and also by the State Governments and Union Territory Administrations for the services at Anganwadi Centres and Mini-Anganwadi Centres as per the extant Scheme guidelines.

And whereas, the honorarium paid towards the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

- 1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;
  - (b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in to get enrolled for Aadhaar;

(c) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming a Unique Identification Authority of India registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely:-
  - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
  - (ii) Permanent Account Number Card; or
  - (iii) Passport; or
  - (iv) Ration Card; or
  - (v) Voter Identity Card; or
  - (vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
  - (vii) Kisan Photo passbook; or
  - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
  - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
  - (x) any other document as specified by the Ministry:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

- 2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.
- 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
  - (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner:
  - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Timebased One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
  - (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
- 4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).
- 5. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories.

[F. No.11/3/2022-CD.I]

ADITI DAS ROUT, Addl. Secy.